



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO: 88 OF 2026

IN THE MATTER OF

V3 Healthcare Private Limited

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

...Respondents

INDEX

S.no	Particular	Page
1.	Compliance Affidavit by Municipal Commissioner (incharge), Nagar Nigam, Rudrapur	1-5
2.	Annexure No.1 - Letter dated 17.02.2026 to the Principal Secretary/Secretary, Forest & Environment/Urban Development Department, Government of Uttarakhand,	6




	Annexure No.2 - A copy of the letter dated 23.02.2026 by the Assistant Director, Urban Development Department, Government of Uttarakhand to the Respondent no.7	7-10
4.	Annexure No.3 - A copy of the letter dated 18.03.2026 issued by the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rudrapur.	11
5.	Annexure No.4 - A copy of Survey Report made by Asst. Municipal Commissioner, Rudrapur (Team of six)	12-14
6.	Annexure No.5 - A copy of notice delivery report along with notices issued by the Executive Engineer, Nagar Nigam, Rudrapur	15-80
6.	Annexure No.6 - A copy of the letter dated 13.04.2026 written by the Municipal Corporation to the Director, Urban Development, Uttarakhand	81

vakalatnama

82-83

Date - 14.04.2026

HIMANSHU PAL
Advocate
Nagar Nigam, Rudrapur



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO: 88 OF 2026

IN THE MATTER OF

V3 Healthcare Private Limited

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

...Respondents

Compliance Affidavit on behalf of Municipal Commissioner (incharge), Municipal Corporation, Rudrapur, Udham Singh Nagar in compliance of Order dated 04.02.2026 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter

I, Shipra Joshi Pandey, age about 33 years, W/o Shri Gaurav Pandey, presently posted as Municipal Commissioner (incharge), Nagar Nigam, Rudrapur, do hereby solemnly affirm on oath and state as under -

1. That the deponent being the Municipal Commissioner (incharge) is the representative of the Respondent no. 7 (Nagar Nigam,



Rudrapur) in the present matter and as such she is fully acquainted with the facts of the case deposed below

2. That vide order dated 04.02.2026, this Hon'ble Tribunal directed the respondent no. 4 (UKPCB) to carry out a spot inspection and ascertain the details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors and also the nature of violation and file a comprehensive report before the tribunal.

The chronological details in relation to this aspect are as follows-

3. That, in compliance with the order dated 04.02.2026 passed by the Hon'ble Tribunal, the respondent no. 4 (Uttarakhand Pollution Control Board) issued a letter dated 17.02.2026 to the Principal Secretary/Secretary, Forest & Environment/Urban Development Department, Government of Uttarakhand, requesting them to prepare and submit a compliance report before the Hon'ble Tribunal and to duly inform the Chief Secretary/Member Convener, EMC. (**Annexure no. 1**)
4. That in furtherance of the aforesaid letter, the Assistant Director, Urban Development Department, Government of Uttarakhand, vide letter dated 23.02.2026, further directed the respondent no. 7, (Municipal Corporation, Rudrapur) to take necessary action in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal (**Annexure No. 2**).



5. That, in furtherance of the aforesaid letter, the Municipal Commissioner (incharge) vide letter dated 18.03.2026 directed the Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Rudrapur, that the necessary action be taken in compliance with the order passed by the Hon'ble Tribunal. It was further directed to prepare notices on the basis of the list provided by the Junior Engineer, Municipal Corporation, Rudrapur, and to ensure that appropriate steps are taken for serving or pasting the said notices. (**Annexure No. 3**).

6. That, in compliance with the aforesaid letter, the Asst. Municipal Commissioner, Rudrapur constituted a team of 6 people, headed by him to survey the land near Medicity Hospital and identify the dealers working there for scrap. This team identified 66 scrap dealers in the area near Medicity Hospital, Rudrapur. (**Annexure no. 4**)
7. That subsequently Jr. Engineer heading a team of three people, carried out the work of Notice Delivery and submitted a *NOTICE DELIVERY REPORT* stating therein that scrap work is carried out by a total of 66 persons near the Medicity Hospital. Out of the said 66 persons, notices were issued to 55 dealers on 04.04.2026. The notices were duly served upon 46 persons, and, the notices were affixed on the shops of the 9 dealers. But 11 dealers could not be located, so a re-survey was done on 08.04.26 and notice were

affixed on their shops/establishment. Thus all 66 dealers have been served.

The Notices states that the noticee has encroached upon the land of Nagar Nigam, Rudrapur, and an opportunity is granted to them to provide any legal document in their favour justifying the said possession within 15 days. (**Annexure no. 5**)

8. That vide letter dated 13.04.2026, the deponent forwarded the inspection report as well as the Notices served on dealers to the Director, Urban Development, Uttarakhand, (**Annexure No. 6**).

That present Compliance by way of affidavit on behalf of Municipal Commissioner (incharge), Nagar Nigam, Rudrapur, is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT
नगर आयुक्त

नगर निगम रुद्रपुर (ऊ.सिं.नगर)



VERIFICATION


The abovenamed deponent, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the above response affidavit (Para 1 to 8) are true and correct to my knowledge, based in record, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Rudrapur on this 14th day of April., 2026

Identified the Signature/
T.I. of Exectants/deponent
who has/have Signed
below me.


DEPONENT
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर (ऊ.सिं.नगर)

Filed by -


(Himanshu Pal)

Advocate for Nagar Nigam, Rudrapur

himanshupal.delhi@gmail.com

9911600411

C-65, 1st Floor, Neeti Bagh, Delhi - 110049

Annexure No.

Affirmed before me by
Shri.....Supra Jans
Date.....14/04/2026 Rudrapur
Identified by Shri.....Amir
Contents of this affidavit are read
over to the deponent.

KIMTI RANA, NOTARY, State
Rudrapur (U.S. Nagar) U.K.



मुख्य सचिव कार्यालय

समयबद्ध/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/ई-मेल द्वारा
संख्या: 393/स्टा.ऑफि.-मु.स./2026/ओ.ए-88/26
दिनांक: 7 फरवरी, 2026

प्रमुख सचिव, /सचिव,
वन एवं पर्यावरण/शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: NOTICE for the Applicant in Original Application No. 88/2026 LV3 Healthcare Private Limited Vs
Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक वाद में CONSULTANT (Judicial), (N.G.T.)(P.B.), New Delhi द्वारा निम्नवत् नोटिस दिनांक 13.02.2026 को ई-मेल दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित किया गया है:-

"Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 04.02.2026 (copy of order and petition is enclosed), when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

9. Respondent No. 4 is directed to carry out a spot inspection and ascertain the details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors and also the nature of violation and file a comprehensive report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

10. List on 17.04.2026"

Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 17.04.2026 at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi - 110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, applicant may file reply/reponse to the reports filed by UKPCB and DM, Bageshwar & respondents may file further compliance reports responses, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 04.02.2026.

3- अतः उपरोक्त संदर्भित नोटिस दिनांक 13.02.2026 की प्रति संलग्नकों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्त नोटिस के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.02.2026 के प्रस्तर-9 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में यथाआवश्यक अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुये वांछित आख्या मा0एन0जी0टी0 में दाखिल कराने एवं कृत कार्यवाही से मुख्य सचिव कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि। - SBm08ban19f0

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)

स्टाफ ऑफिसर - मुख्य सचिव,

/सदस्य संयोजक, ई.एम.सी, उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को संज्ञानार्थ।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून (प्रतिवादी सं0-04)।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, रूद्रपुर(प्रतिवादी सं0-07) द्वारा निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर (प्रतिवादी सं-06)।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)

स्टाफ ऑफिसर - मुख्य सचिव,

सदस्य संयोजक, ई.एम.सी, उत्तराखण्ड शासन।



शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62 राजपुर रोड, देहरादून-248001

Email -info.udduk@gmail.com, दूरभाष एवं फैक्स- 0135-2742885

पत्रांक:-5802/756/SBM/NGT/सा0/2019-20

दिनांक.23 फरवरी, 2026

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर,
ऊधमसिंहनगर।

विषय:- NOTICE for the Applicant in Original Application No 88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी0, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-393/स्टा0ऑफि0-मु0स0/2026/ओ0ए0-88/26, दिनांक 17 फरवरी, 2026 (संलग्नक-1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 हरित राष्ट्रीय अधिकरण में योजित वाद ओ0ए0 संख्या:-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors में पारित आदेश दिनांक 04-02-2026 (संलग्नक-2) में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

"8. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

9. Respondent No. 4 is directed to carry out a spot inspection and ascertain the details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors and also the nature of violation and file a comprehensive report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

10. List on 17.04.2026."

अतः स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी0, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त प्रश्नगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-02-2026 का ससमय अनुपालन करने का कष्ट करें। यदि प्रकरण में शासन/निदेशालय की ओर से भी कोई कार्यवाही/निर्देश अपेक्षित हो, तो तत्सम्बन्ध में विवरणपूर्ण आख्या समस्त साक्ष्यों सहित शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0पी0 जोशी)
सहायक निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 4- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

(एस0पी0 जोशी)
सहायक निदेशक।

BY EMAIL /SPEED POST A.D.
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 88/2026
V3 Healthcare Private Limited

Vs

Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

To

1. MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
Through its Secretary
Paryavaran Bhawan, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003
Email: secy-moef@nic.in (Respondent No.1)
2. STATE OF UTTARAKHAND
Through its Chief Secretary,
A.P.J. Abdul Kalam Building Fourth Floor, Uttarakhand Secretariat 4,
Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001
Email: cm-ua@nic.in (Respondent No.2)
3. CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110032
Email: mshc.cpcb@nic.in (Respondent No.3)
4. UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gaura Devi Bhawan, 46 B IT Park Sahastradhara,
Dehradun, Uttarakhand- 248001
Email: msukpcb@yahoo.com (Respondent No.4)
5. STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY,
UTTARAKHAND
653 Indira Nagar Colony, Seemadwar Road, Dehradun-248006
Email: seiaa.seac.uk@gmail.com (Respondent No.5)
6. DISTRICT MAGISTRATE, UDHAM SINGH NAGAR
Collectorate Compound, Rudrapur, Udhham Singh Nagar, Uttarakhand
Email Id: dm-usn-ua@nic.in (Respondent No.6)
7. MUNICIPAL CORPORATION
Through its Executive officer,
Rudrapur, Udhham Singh Nagar, Uttarakhand (Respondent No.7)
8. UNKNOWN SCRAP VENDORS OPERATING NEAR
MEDI CITY HOSPITAL Teen Pani, Kichha Road,
Rudrapur Udhham Singh Nagar-263153, Uttarakhand (Respondent No.8)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 04.02.2026 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"8. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

9. Respondent No. 4 is directed to carry out a spot inspection and ascertain the details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors and also the nature of violation and file a comprehensive report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

10. List on 17.04.2026."

-*****-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 17.04.2026 at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 04.02.2026.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 13th February, 2026.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

8

Consultant (Judicial), NGT

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 88/2026

V3 Healthcare Private Limited

Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest
& Climate Change & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 04.02.2026

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Kunal Arora, Adv. (Through VC)

ORDER

1. In this original application, the applicant medical hospital has raised a grievance against the multiple scrap yards operating in the vicinity of applicant Medicity Hospital, which is NABL accredited 200 bedded facility located at Teen Pani, Kichha Road, Rudrapur, U.S. Nagar District, Uttarakhand.

2. The applicant has alleged that these scrap yards are illegally dumping hazardous waste, including plastic, paper, glass bottles, gas cylinders, flammable materials, and Rubber waste. They are operating without requisite permission.

3. Further plea of the applicant is that on 27.03.2025, a massive fire broke out in one of the scrap yards, causing inconvenience and harm to the applicant and its patients. The applicant in the OA has alleged, the following environmental damage by these scrap yards operating in the vicinity:

the applicant, which was dismissed as withdrawn by order dated 07.10.2025 with liberty to file a fresh application on the same cause of action in the proper manner.

6. Learned Counsel for the applicant has also submitted that since details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors are not available with the applicant therefore, respondent no. 8 has been impleaded as "unknown scrap vendors operating near Medicity Hospital".

7. O.A. raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

8. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

9. Respondent No. 4 is directed to carry out a spot inspection and ascertain the details of the illegally operating scrap yards/scrap vendors and also the nature of violation and file a comprehensive report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

10. List on 17.04.2026

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

February 04, 2026
O.A. No. 88/2026
HB



कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-3233 / मु0कार्या0 / स्टेनो0 / 2025-26

दिनांक:-/8 / 03 / 2026

श्री रणदीप
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर।

विषय:- NOTICE for the Applicant in Original Application No-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के आदेश पत्रांक-5802/759/SBM/NGT/सा0/2019-20 दिनांक 23.02.2026 द्वारा मा0 हरित राष्ट्रीय अधिकरण में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors में पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम, रूद्रपुर के अवर अभियन्ता द्वारा प्रदान की सूची के आधार पर नोटिस तैयार करते हुये उक्त नोटिसों को तामील/चस्पा करवाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपि:-

1. श्री शुभम सिंह, अवर अभियन्ता, नगर निगम, रूद्रपुर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित को नोटिस तामील/चस्पा करना सुनिश्चित करें।
2. श्री विजय कुमार, परिचारक, नगर निगम, रूद्रपुर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित को नोटिस तामील/चस्पा करना सुनिश्चित करें।
3. श्री अरून कुमार, बहुउद्देशीय कार्मिक, नगर निगम, रूद्रपुर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित को नोटिस तामील/चस्पा करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

“निरीक्षण आख्या”

कृपया अवगत कराना है कि NOTICE for the Applicant in Original Application No-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किच्छा रोड़ पर स्थित मिडिसिटी हॉस्पिटल के समीप करतारपुर रोड़ पर दिनांक 15.03.2026 एवं 16.03.2026 को नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा कुल 66 व्यवसायियों का सर्वे किया गया है जिनके द्वारा कवाड़ बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिनकी सूची निम्नवत् है:-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मो० नं०.	माप m ²
1.	श्री अनवर	बब्बू	9012297099	1131.57
2.	श्री विजय	-	-	694.58
3.	सलमान	-	-	460.31
4.	सब्बन	-	-	467.73
5.	हारून	फारुख	-	367.18
6.	तौफीक	-	-	606.97
7.	नईम	-	-	508.71
8.	सलमान	फर्जनद अली	-	574.03
9.	गुलाव नवी	-	9675854429	460.80
10.	नबाव	रईस अहमद	9654416940	509.40
11.	जलीसी	-	9917208285	-
12.	नसरुद्दीन	जलीस अहमद	-	-
13.	नईम	-	7536059226	972.35
14.	तसबीर हुसैन	-	9639529470	562.38
15.	जफरुद्दीन	निरारुद्दीन कुरैशी	8439890827	953.87
16.	जाहिद अली	वाहिद अली	7500299606	1274.34
17.	जावेद अली	रईस अहमद	9690633276	962.74
18.	जुनेद	रउफ	8279824168	1112.65
19.	मो० जफर	रईस अहमद	9690403748	1788.92
20.	विशाल अग्रवाल	बृज मोहन	9917947131	2197.44
21.	मो० हनीफ	जान मोहम्मद	9012122328	753.95
22.	अमान	स्मसुद्दीन	9568402915	919.32
23.	मो० जफर	रईस अहमद	9690403748	632.79
24.	मो० जफर	रईस अहमद	9690403748	455.37
25.	पप्पू			-


26.	दुकान			-
27.	जफर उद्दीन	निसार उद्दीन	8439890827	1436.12
28.	इसरार अहमद	मकसूल अहमद	9837074113	1162.81
29.	इकरार अहमद	अबरार हुसैन	8077087830	1289.10
30.	अली मुहम्मद	-	9012122326	1607.61+1444.51
31.	मो0 इरफान	अहमद हुसैन	9045069000	809.21+1388.48
32.	साहिद जलील	-	9917107949	1216.72
33.	फुरकान	-	6395963343	674.92
34.	मो0 महबूब	-	9917717936	674.92
35.	रिहान	यासीन	7017949526	478.84+444.30
36.	खाली			-
37.	खाली (जावेद)			-
38.	फरमान	अफसर अली गामा	9528233926	484.72
39.	जावेद			-


मेडिसिटी हॉस्पिटल के दाईं ओर (करतारपुर रोड)


40.	आनन्द	-	9568974773	646.61
41.	सलमान	-	9389337561	859.39
42.	नईम	रहमत उल्ला	9837676823	859.39
43.	कदीर अहमद	-	9837074125	1525.03
44.	मो0 इरफान	-	6397525574	412.89
45.	मुमत्याज	-	8057743244	495.52
46.	सरफराज	-	9927413855	330.74
47.	अरविन्द खुल्लर	यश मोहन	9927442111	704.61
48.	इमरान	अब्दुल वाहिद	9837409822	514.44
49.	विनोद	अरविन्द	8235843074	1435.11
50.	तोफिक अहमद	-	-	886.50
51.	असगर अली	अनवर हुसैन	9012557786	1295.19
किच्छा रोड				1077.21
52.	साजिद मिया	-	9917076810	562.59
53.	अरशद खान	-	9012669834	1440.47
54.	मो0 स्माईल	मो0 हारून	9758011593	527.30
55.	मेहन्दी हसन	-	8941011751	
करतारपुर रोड				
56.	सपन	शशि मोहन	8755584000	532.30
57.	शकील	कदीर अहमद	7505046690	475.29
58.	आनन्दी लाला	-	8958551587	163.94
59.	मो0 अनस	-	7902086855	562.40


60.	शराफत	—	8433410220	731.03
61.	अबरार हाजी	—	9568829459	647.38
62.	मै0 अवान ट्रेडर्स	—	8433265124	478.51
63.	फरीद अहमद	—	9917331786	1621.03
64.	नसीर अहमद	—	—	—
65.	मेहराज	—	9927115440	425.21
66.	साहिद	—	8279721774	381.80


अतः आख्या सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(जसवीर सिंह)
वर्क एजेंट,
नगर निगम, रुद्रपुर।


(मनोज गहतोड़ी)
वर्क एजेंट,
नगर निगम, रुद्रपुर।


(भूपेन्द्र सिंह)
वर्क एजेंट,
नगर निगम, रुद्रपुर।


(शिखर ओझा)
अवर अभियंता,
नगर निगम, रुद्रपुर।


(शुमम सिंह)
अवर अभियंता,
नगर निगम, रुद्रपुर।


(रणदीप सिंह)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर।


“नोटिस वितरण आख्या”

कृपया अवगत कराना है कि NOTICE for the Applicant in Original Application No-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किच्छा रोड पर स्थित मिडिसिटी हॉस्पिटल के समीप करतारपुर रोड पर कुल 66 लोगों द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर कवाड़ का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर उक्त कार्य किये जाने सम्बन्धी निम्न दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 04.04.2026 को कुल 55 व्यवसायियों को नोटिस निर्गत किये गये है। जिनमें से कुल 46 व्यवसायियों को नोटिस तामील कराये गये तथा कुल 09 व्यवसायियों (जोकि मौके पर नहीं पाये गये) उनके प्रतिष्ठान/दुकान के आगे नोटिस चस्पा कर दिये गये है। शेष 11 व्यवसायियों के प्रतिष्ठान/दुकानों का पता नहीं चल पाया। जिनका पुनः दिनांक 08.04.2026 को सर्वे कर उनके प्रतिष्ठान/दुकानों के आगे नोटिस चस्पा कर दिये गये है। (छायाप्रति संलग्न)


अतः आख्या सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(अरून कुमार)
बहुउद्देशीय कार्मिक,
नगर निगम, रूद्रपुर।



(विजय कुमार)
परिचारक,
नगर निगम, रूद्रपुर।



(शुभम सिंह)
अवर अभियन्ता,
नगर निगम, रूद्रपुर।





कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 0 / / नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती अनवर

पुत्र/पत्नी श्री

पता

मो. नं० = 9012297099


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - नाला / नदी
2. पश्चिम - गली नं. 1 सीड
3. उत्तर - नाला / नदी
4. दक्षिण - जाहिद अली s/o जाहिद अली

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- ०२ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती विजय

पुत्र/पत्नी श्री

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - अलवर कच्चा दुकान
2. पश्चिम - सलमान कच्चा दुकान
3. उत्तर - नाला/नदी
4. दक्षिण - गली ०१ रोड

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 03 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती सुलभा

पुत्र/पत्नी श्री

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - विजय कच्ची दुकान
2. पश्चिम - शिवन कच्ची दुकान
3. उत्तर - नाला / नदी
4. दक्षिण - गली नं० 1 (रोड)

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-०५ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

“नोटिस”

श्री / श्रीमती सुखान

पुत्र / पत्नी श्री

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - सुखान कच्ची दुकान
2. पश्चिम - हासन कच्ची दुकान
3. उत्तर - नाला / नदी
4. दक्षिण - गली न० 1 (रौंड)

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-05/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती एस.एस.एस.

पुत्र/पत्नी श्री एस.एस.एस.

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - शम्भुल कच्ची दुकान
2. पश्चिम - लैण्डिंग कच्ची दुकान
3. उत्तर - नाला / नदी
4. दक्षिण - गली नं०-1 (गैड)

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-०६ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती
श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री

पता

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - *दोस्त कच्ची दुकान*
2. पश्चिम - *नईम कच्ची दुकान*
3. उत्तर - *माला / मदी*
4. दक्षिण - *माला नो 1 ह शेड*

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।

Ray
 सहायक नगर आयुक्त,
 नगर निगम, रुद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- ०७ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- २५ / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती *ज.स.*

पुत्र/पत्नी श्री

पता

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - *तीसरी कच्ची दुकान*
2. पश्चिम - *अलमात कच्ची दुकान*
3. उत्तर - *झेडीसीटी हॉस्पिटल*
4. दक्षिण - *गली न० १ & नसरुल हसन कच्ची दुकान*

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।

Jeet
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-७४ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- २५/०३/२०२६

"नोटिस"

श्री/श्रीमती सलमान

पुत्र/पत्नी श्री परमेश्वर अल्ला

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - विषय कच्ची दुकान
2. पश्चिम - सबबन कच्ची दुकान
3. उत्तर - नदी/माला
4. दक्षिण - गली नं०-०१ रोड

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-०९ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:-०९/०३/२०२६

"नोटिस"

श्री/श्रीमती सुलभा नवा

पुत्र/पत्नी श्री

पता

फोन नं० ९६७५८५५५२९


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - सलमान कच्ची दुकान
2. पश्चिम - नवाब कच्ची दुकान
3. उत्तर - मैडिसिटी हॉस्पिटल
4. दक्षिण - गली नं० २८ नसरुद्दीन कच्ची दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- / ० / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती न. वा. व.

पुत्र/पत्नी श्री रुद्रपुर ऊधमसिंह

पता

को नं० = 9654418940

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - उल्लाव नबी कच्ची दुकान
2. पश्चिम - खाली प्लॉट
3. उत्तर - मैडिसिटी होस्पिटल
4. दक्षिण - गली नं० 1 & जलीसी कच्ची दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 11 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती रुद्रपुर नगर जिलासी

पुत्र/पत्नी श्री

पता

210 नं. = 9917208285

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - उत्तर इदीत कच्ची दुकान
2. पश्चिम - पक्का घर
3. उत्तर - गली नं० 1 व लबाब कच्ची दुकान
4. दक्षिण - खाली लॉट व लफार कच्ची दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. मू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Rang

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 12 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती जस कृष्ण

पुत्र/पत्नी श्री जलीसा अहमद

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - नईम कच्चा दुकान
2. पश्चिम - जलीसा कच्चा दुकान
3. उत्तर - ठाली नं० 1 व शलाम नबी कच्चा दुकान
4. दक्षिण - मुस्सम व आलम व हनीक कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 13 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती 752

पुत्र/पत्नी श्री

पता

मो. नं. = 7536059226

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - तख्तबीर हुसैन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - नसरुद्दीन कच्चा दुकान
3. उत्तर - वाली नं० 1 व सलमान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - हनीफ व विशाल अज्जवाल कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 14 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती लासवीर इंसान

पुत्र/पत्नी श्री

पता

ओ. नं. = 9639529470


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - खाली दुकान
2. पश्चिम - लईन कच्चा दुकान
3. उत्तर - लईन कच्चा दुकान
4. दक्षिण - विशाल अठ्ठवल कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 15/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती जयशंकर देवान

पुत्र/पत्नी श्री विशंकर देवान 09/2011

पता

मो.नं. = 8439896827


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - इसरार कच्चा दुकान
2. पश्चिम - कारखानपुर रोड
3. उत्तर - गली नं-2
4. दक्षिण - सरफराज न अश्विन्य खुल्लर कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 16 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती जयदीप अली

पुत्र/पत्नी श्री जयदीप अली

पता

मो. नं० = 7500299606

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - जयदीप अली S/O निराला अली कच्चा दुकान
2. पश्चिम - जयदीप अली S/O रईस अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - रवाली दुकान
4. दक्षिण - शाली नं० 2 व महेबूब कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 17 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती जाहिद अली

पुत्र/पत्नी श्री रुद्रपुर अहमद

पता

मो. नं. 9690633276

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - जाहिद अली S/O जाहिद अली कच्चा दुकान
2. पश्चिम - जुनेद S/O रुद्रपुर कच्चा दुकान
3. उत्तर - रवाली दुकान
4. दक्षिण - गली नं-2 व फुरकान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 18 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती ज्ञानेद

पुत्र/पत्नी श्री र.उ.फ.

पता

मो० नं० - 8279824168

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - ज्ञानेद अली S/O रईस अहमद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - मोहम्मद जफर S/O रईस अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - खाली दुकान
4. दक्षिण - शाहिद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 19 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. 0. पफर

पुत्र/पत्नी श्री रईस अहमद

पता

श्री. श्री. - 9690403748


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - जुनेर S/O रउफ कच्चा दुकान
2. पश्चिम - विशाल अक्षय S/O सृज मोहन कच्चा दुकान
3. उत्तर - नईम कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नै-2 व अली मुहम्मद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्त के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 20/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती विशाल अग्रवाल

पुत्र/पत्नी-श्री वृष मीर

पता

फोन नं- 9917947131

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - मौहम्मद जकार S/O रईस अहमद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - हनीफ S/O जाल मौहम्मद कच्चा दुकान
3. उत्तर - नईम कच्चा दुकान
4. दक्षिण - उली नं० 2 व उली मुहम्मद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

[Signature]

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- २ / / नजूल अनु०/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री० हनीफ

पुत्र/पत्नी श्री ज्ञान मोहम्मद

पता

श्री० नं० - 9012122320


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - विशाल अग्रवाल S/O वृज मोहन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - इमरुत अग्रवाल S/O रमेशकुमार कच्चा दुकान
3. उत्तर - नईम कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गनी नं० 2 व हनीफ

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- २२ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री० श्याम

पुत्र/पत्नी-श्री समशुद्दीन

पता

श्री० नं० - 9568 402915


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - हनीफ स/० जान मोहम्मद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - जकार स/० रईस अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - नसरुद्दीन स/० जलीसी अहमद कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं. 2 व अली मोहम्मद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- २३ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती- श्री० जगद

पुत्र/पत्नी श्री- रईस अहमद

पता श्री० गी०- 9690 403740

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - अग्रान S/O सम्मुद्दीन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - श्री० जगद कच्चा दुकान
3. उत्तर - खाली दुकान
4. दक्षिण - गली नं०-2 व डिकर अहमद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 24 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री० जफर

पुत्र/पत्नी श्री रईस अहमद

पता

श्री० नं० - 9690403748


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - श्री० जफर S/O रईस अहमद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - पप्पू दुकान
3. उत्तर - श्वाली दुकान
4. दक्षिण - गली नं०-2 व इस्शर S/O जकसूल अहमद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 25/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती पत्नी

पुत्र/पत्नी श्री

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - श्री जलपार S/O रईस अहमर कच्चा कुकात
2. पश्चिम - करतारपुर रोड
3. उत्तर - खाली कुकात
4. दक्षिण - गली नं. 2 व जलपार/जलपारकी कच्चा कुकात

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- २७ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- २५/०३/२०२६

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. जयप्रकाश उददीन

पुत्र/पत्नी श्री श्री. जयप्रकाश उददीन निवा. उददीन

पता

मो० नं०- 8439890827


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - नाला / नदी
2. पश्चिम - जगदीश उरली कच्चा दुकान
3. उत्तर - अलवर कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं० 2 व रैशन कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- १४ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती इकरार अहमद

पुत्र/पत्नी श्री मकसूल अहमद

पता

मो. नं. = 9037074113


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - इकरार अहमद s/o अबरार हुसैन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - जफर s/o जफरुद्दीन कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं-2 व जफर कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं-3 व सानिद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



479

Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 29 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती इकरार अहमद

पुत्र/पत्नी श्री अबुशरिफ इमरान

पता

मो. नं. = 8077087830


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - अली मोहम्मद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - इसरा अहमद s/o मकसूल अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - अली नं० 2 व लप्पर कच्चा दुकान
4. दक्षिण - अली नं० 3 व इमरान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 30 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती उममा सुहमे

पुत्र/पत्नी श्री

पता

मो. नं. = 90/2/22326


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - श्री. इरफान S/O अहमद हुसैन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - इकरार अहमद S/O अकसल अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं. 2 व अमान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं. 3 व विनोद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 3 / / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. इरफान

पुत्र/पत्नी श्री इरफान इरफान

पता

म/नं० = 9045069000


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - शाली दुकान
2. पश्चिम - अली मोहम्मद कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं० 2 व विशाल अंतवाल कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं० 3 व विनोद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 32 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती साहिब जलील

पुत्र/पत्नी श्री

पता

मो.नं. = 9917107949


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - पुरकान कच्चा दुकान
2. पश्चिम - शवाली दुकान
3. उत्तर - गली नं-2 व खुर्द कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं 3 व खिलौद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 33 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती पुरखान

पुत्र/पत्नी श्री

पता

मे. नं० = 6395963343


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - मौदुद्दौद अहमद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - रिहान 5/0 भासीन कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं० 2 व जावेद अली 5/0 रईस अहमद कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली नं० 3 व खरीद, तौफ़ीक कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 34 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. महेन्द्र

पुत्र/पत्नी श्री

पता

श्री. नं. = 99/77/7936


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - रेहान slo आसीन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - फ़ारकान कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली 0 2 व जाहद अली कच्चा दुकान
4. दक्षिण - गली 0 3 व लौणीक कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 35/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती रि.डी.ए.

पुत्र/भती श्री या.सी.ए.

पता

मो.नं. = 7017949528


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - जालेद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - अदख्क कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नंबर 2 व जफरसुदीन कच्चा दुकान
4. दक्षिण - जफरसुदीन / अफसर अली गामा कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 36 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती /

पुत्र/पत्नी श्री

पता


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब -
2. पश्चिम -
3. उत्तर -
4. दक्षिण -

अतः आप इस नोटिस प्राप्त के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 37 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती स्वाल्मी (कृष्णा) / जावेद

पुत्र/पत्नी श्री

पता

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - नाना / नदी
2. पश्चिम - करमान S/O अफसर अली गाजा कच्चा दुकान
3. उत्तर - नीला व जफरुद्दीन कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम रुद्रपुर



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 38 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती फरमान

पुत्र/पत्नी श्री असगर अली अली गाम

पता

फोन नं० = 9520233926

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - जानैद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - असगर अली कच्चा दुकान
3. उत्तर - रेदान 510 आसीत कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Par
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 39 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्रीमती लाल देवी

पुत्र/पत्नी श्री

पता

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब -
2. पश्चिम -
3. उत्तर -
4. दक्षिण -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

के.ए.ए.
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- १० / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती आनंद

पुत्र/पत्नी श्री

पता वे.सि.सि.व. इन्फिन्टीव्हीटि कोर करवा/डर सि

मो. नं. = 9568974773


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - करतारपुर रोड व Medicity hospital gate
2. पश्चिम - कदौर अहमद S/O - कच्चा दुकान
3. उत्तर - सलमान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 41 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती सलमान

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवाड़ा रोड

मो. नं. = 9309337561


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - मेडिसिटी हॉस्पिटल गेट व करतारपुर रोड
2. पश्चिम - कदीर अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - नईम S/O रहमत उल्ला कच्चा दुकान
4. दक्षिण - आनन्द कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- ५२ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती न. ड. म.

पुत्र/पत्नी श्री र. ड. म. र. / उ. ल. ल. /

पता क. र. ल. / ड. र. र.

मौ. नं. = 90376 76023


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - अरतारपुर रोड व मैडिसिनी होस्पिटल गेट
2. पश्चिम - कदीर अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - मौ० इरफान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - सलमान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 43 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती कदीर अहमद

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवा, इर री

मो. नं. = 9837074425

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - सलमान व कदीर अहमद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - -
3. उत्तर - काशीपुर शिलारंगज हाइवे (कच्चा रोड)
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 44 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. इरफान

पुत्र/पत्नी श्री

पता करला, रुद्रपुर

मो. नं. = 6397525574

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - मंडिसिरी मैत गेट व अरतारपुर रोड
2. पश्चिम - कदौर अहमद S/O - कच्चा दुकान
3. उत्तर - मुमलखान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - नईम S/O रमल अल्ला कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

[Signature]

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 45 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती मु. अ. 24/ज

पुत्र/पत्नी श्री

पता करतारपुर रोड रि

मो.न. = 0057743244


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - करतारपुर रोड व मेडिसिटी होस्पिटल
2. पश्चिम - अदीर अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - काशीपुर खैलारंगत हाइवे (किचड़ा रोड)
4. दक्षिण - इमरत इरफान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 46 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती २५३५१/५५

पुत्र/पत्नी श्री

पता करतारपुर रोड

मो.नं. = 9927413055

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - अश्विन्य खुल्लर S/0 दश मौदन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - करतारपुर रोड
3. उत्तर - जलरुहीन कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Ray

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- ५७/नजूल अनु०/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती अरविन्द सुलका

पुत्र/पत्नी श्री यश मोहन

पता कस्बा इ. रि.

मो. नं. = 9927442111


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - इमरान स/० अब्दुल वाहद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - सरफराज कच्चा दुकान
3. उत्तर - इस्लार स/० अब्दुल अहमद कच्चा दुकान
4. दक्षिण - —

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 48 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती इमरान

पुत्र/पत्नी श्री अब्दुल घाफ़िर

पता करला, 85, री
 मो. नं. = 9837409022

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - विनाद कच्चा दुकान
2. पश्चिम - साजिद कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं० 3 व इकरार कच्चा दुकान
4. दक्षिण - —

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Ray
 सहायक नगर आयुक्त,
 नगर निगम, रुद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- ५१ / नजूल अनु० / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 27/03/2026

“नोटिस”

श्री/श्रीमती विनीत

पुत्र/पत्नी श्री अरविन्द

पता क.र.गाँव, रुद्रपुर

फोन नं. = 0235043074


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - प्यारी व अरुण तीर्थी कच्चा दुकान
2. पश्चिम - इमरान S10 अब्दुल बाहीद कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली 003 व इरफान कच्चा दुकान
4. दक्षिण -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 50 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती पुष्पा अग्रवाल

पुत्र/पत्नी श्री

पता कल्याणपुर रोड

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - आसगर अली 5/0 अन्वर हुसैन कच्चा दुकान
2. पश्चिम - विनोद 5/0 आरविन्द कच्चा दुकान
3. उत्तर - गली नं. 3 व पुरखान कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Ray

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 51 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती उत्तर गज अल

पुत्र/पत्नी श्री उत्तर अल

पता कच्चा आवास, रुद्रपुर

मो. नं. = 9012557706


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - पूरुब कच्चा आवास
2. पश्चिम - पश्चिम कच्चा आवास
3. उत्तर - गली नं-3 व रेडान कच्चा आवास
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-52 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती राजिंदर सिंघा

पुत्र/सती श्री

पता किच्छा रोड

मौ.नं. = 9917076010


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -
2. पश्चिम - श्री० इस्माइल कच्चा दुकान
3. उत्तर - किच्छा रोड (कारीपुर - सितारगज हाइवे)
4. दक्षिण - अरराय श्वान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 53 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती उत्तरेश्वरी देवी

पुत्र/पत्नी श्री

पता रिजिस्ट्रार रोड

फोन नं. = 9012669834


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -
2. पश्चिम - इस्मैल कच्चा दुकान
3. उत्तर - स्नाजिद कच्चा दुकान
4. दक्षिण - लौकिक व हसन कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 54 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. सु. सु. सु.

पुत्र/पत्नी श्री श्री. सु. सु.

पता खे. 24, रो.

मो. नं. = 9758 011 593


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - शाहीद खान कच्चा दुकान
2. पश्चिम - मी. हन्दी हस्त कच्चा दुकान
3. उत्तर - कच्चा रोड (काशीपुर - क्षीतारंजन हलवे)
4. दक्षिण - कच्चा नाला/नदी

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 55/नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. ए. ए. ए. ए.

पुत्र/पत्नी श्री

पता रिश्वा रोड

मो. नं. = 0941011751

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - श्री. इस्माइल S/O श्री. हारून कच्चा दुकान
2. पश्चिम - -
3. उत्तर - रिश्वा रोड (आशीपुर - शीतारंगज हाइवे)
4. दक्षिण - कच्चा जाला / नदी

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 58 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती 2747

पुत्र/पत्नी श्री 2/21/2026

पता करवापुर रोड

म.नं. = 0755584000


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - करवापुर रोड (मैडिसीनी होस्पिटल)
2. पश्चिम - स्कील slo करवापुर अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - क्लिन्दा रोड (सितारगंज - काशीपुर हाइवे)
4. दक्षिण - मुमल्लान कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



507

Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 57 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री कदीर अहमद

पता कस्तूरपुर रोड

मो. नं = 7505046690

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - स्वपन S/0 शाही मौदल दुकान
2. पश्चिम - -
3. उत्तर - किच्छा रोड (काशीपुर - शीतारगंज हाइवे)
4. दक्षिण - कदीर अहमद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Ray

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-58 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती आनंदी लाल

पुत्र/पत्नी श्री

पता कस्बा, डी. रोड

मो. नं. = 8958551587

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - खाली प्लॉट
2. पश्चिम - रोड
3. उत्तर - खाली दुकान / किच्छा रोड
4. दक्षिण - श्री अनस कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

Ray

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-59 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:-25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. उमरु

पुत्र/पत्नी श्री

पता कडवाड 55 रोड

को. नं. = 7902086053

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -
2. पश्चिम - रोड
3. उत्तर - आनन्दी लाला कच्चा दुकान
4. दक्षिण - शफाल कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्त के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 60 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री

पता कल्याण नगर

मो. नं. = 0433410220


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -
2. पश्चिम - रोड
3. उत्तर - मी० अलस कच्चा दुकान
4. दक्षिण - अबरार हाजी कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 61 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती उत्तरा राजा

पुत्र/पत्नी श्री

पता करता हा रोड

मै.नं. = 9560829459

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -

2. पश्चिम - रोड


3. उत्तर - शरणात कच्चा दुकान

4. दक्षिण - उत्तरा राजा कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 62 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श. उषा देवी

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवाड़ा रोड

फोन = 0433265124


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - -
2. पश्चिम - रीड
3. उत्तर - अक्षर हाजी कच्चा दुकान
4. दक्षिण - फरीद अहमद कच्चा दुकान

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 63 /नजूल अनु0/भूमि/2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती करीम उमर

पुत्र/पत्नी श्री

पता करना, रुद्रपुर
मो.नं. = 9917331706


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - श्री इंसोर्ट कम्पनी कच्चा दुकान
2. पश्चिम - श्री
3. उत्तर - डाबानान ट्रेडर्स कच्चा दुकान
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 64 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती परशुराम झा

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवाड़ 55 रुद्रपुर


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - मेहराज कच्चा दुकान
2. पश्चिम - -
3. उत्तर - आशीपुर - शीतारंगन हाईवे (कच्चा रोड)
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 65 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 28/03/2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती श्री. राज

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवाड़ा, रुद्रपुर

मो. नं. = 9927115440


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - साहिब कच्चा दुकान
2. पश्चिम - साहिब अहमद कच्चा दुकान
3. उत्तर - किच्छा रोड (काशीपुर - सैतारगंज हाईवे)
4. दक्षिण -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 66 / नजूल अनु0 / भूमि / 2025-26

दिनांक:- 25 / 03 / 2026

"नोटिस"

श्री/श्रीमती रवि.....

पुत्र/पत्नी श्री

पता करवाड़ा रोड.....

मो.नं. = 0279721774


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

1. पूरब - रोड
2. पश्चिम - मेहरान कच्चा दुकान
3. उत्तर - व्याशीपुर - सीतारंगन हाईवे (कच्चा रोड)
4. दक्षिण - -

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में कोई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेजों का विवरण:-

01. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
02. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र।
03. भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
04. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाईसेंस।
05. विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
06. जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र।


सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 31 / मु0कार्या0 / स्टेनो0 / 2025-26

दिनांक:- 13 / 04 / 2026

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62 राजपुर रोड, देहरादून।

विषय:- NOTICE for the Applicant in Original Application No-88/2026 V3 Healthcare Private Limited Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- 5802/759/SBM/NGT/सा0/2019-20 दिनांक 23.02.2026 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि नगर निगम, रुद्रपुर की संयुक्त टीम द्वारा किच्छा रोड पर स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल के निकट करतारपु रोड पर कुल 66 व्यवसायियों का सर्वे किया गया है जिनके द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कवाड़ का कार्य किया जा रहा है। उक्त व्यवसायियों को नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर व्यवसाय करने सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रदान करने हेतु 15 दिवस की अवधि का समय प्रदान करते हुये कुल 66 व्यवसायियों को नोटिस निर्गत किये गये है।

अतः आख्या सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



VAKALATNAMA
IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

O.A. No. 88 of 2026

In re:

V3 Healthcare Private Limited

.....Applicant

VERSUS

Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors..

.....Respondents

KNOW ALL to whom present shall come that we Municipal Corporation, Rudrapur Respondent No. 7 above named, do hereby appoint / retain Shri Himanshu Pal, Advocates(hereinafter called the advocate/s) to be my/our advocate in the above-noted case authorize him/her: -

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including the Supreme Court of India subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign, file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawals, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him/her to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he/she may think fit to do so and to sign, the power of attorney on our behalf.

And/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his/her substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.


And I/we undertake that I/we or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate or appearance when the case is called.

And I/we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his/her substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the advocate, which he/she shall receive and retain for himself/herself.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he/she shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/we hereby agree that once the fees is paid, I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/we do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 14th day of April, 2026

Accepted subject to the terms of the fees.

 सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर

Name - Randeep

Address - Nagar Nigam
Rudrapur (U.S. Nagar)


Client
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर (ऊ.सिं.नगर)



HIMANSHU PAL
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 7

UK-189/2013

C-65, 1st Floor, Neeti Bagh

NEW DELHI - 110049

+91 9911600411

himanshupal.delhi@gmail.com